लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 156वीं बैठक दिनांक 06 मई, 2016 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः—

01.	श्री सदाकान्त	अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0।
02.	श्री सत्येन्द्र सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03	श्री राजशेखर	जिलाधिकारी, लखनऊ।
04.	श्री उदय राज सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
05.	श्री शिव जनम चौधरी	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन।
06	श्री अजय कुमार मिश्र	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
07.	श्री सी0डी0एस0 यादव	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि—मुख्य अभियन्ता, जल निगम, लखनऊ।
08.	श्री आर0पी0 यादव	क्षे0पर्य0अधि0, प्रतिनिधि—महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
09.	श्री संजीव कश्यप	वास्तुविन्द नियोजक, प्रतिनिधि आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
10.	श्री नरेन्द्र कुमार चौबे	अपर निदेशक, प्रतिनिधि—निदेशक, कोषागार, लखनऊ मण्डल।
11.	श्री एस0एस0 सोनी	अपर संयुक्त अधिकारी, प्रतिनिधि—संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
12.	श्री विजय सिंह यादव	सदस्य, ल0वि0प्रा0।
13.	श्रीमती मुन्नी पाल	सदस्य, ल0वि0प्रा0।
14.	श्री इसहाक गुड्डू	सदस्य, ल0वि0प्रा0।
15.	श्री सुरेन्द्र सिंह 'राजू गांधी'	मा0 पार्षद / सदस्य, ल0वि0प्रा0।
16.	श्री फैसल नवाब	मा0 पार्षद / सदस्य, ल0वि0प्रा0।
17.	श्री सौरभ सिंह 'मोनू'	मा0 पार्षद / सदस्य, ल0वि0प्रा0।
18.	श्री रमेश कपूर 'बाबा'	मा0 पार्षद / सदस्य, ल0वि0प्रा0।

अन्य उपस्थितिः—

19.	श्री श्रीश चन्द्र वर्मा	सचिव, ल0वि0प्रा0।
20.	श्रीमती सीमा सिंह	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0।
21.	डा0 मोहन यादव	वित्त नियन्त्रक, ल0वि0प्रा0।
22.	श्री एन0एन0 सिंह	संयुक्त सचिव, ल0वि0प्रा0।
23.	श्री ओ0पी0 मिश्र	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
24.	श्री जे0एन0 रेड्डी	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 / प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन तथा उपस्थित सदस्यों के स्वागत एवं औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06.11.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बनध में कोई आपतित प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06.11.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या : 3 — प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2015–16 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 का प्रस्तावित आय–व्ययक से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2015–16 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 का प्रस्तावित आय–व्ययक पर अनुमोदन प्रदान किया गया यह निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की आय बढ़ाने हेतु वास्तविक कार्ययोजना तैयार कराई जाय तथा इस हेतु यदि आवश्यक हो तो वित्त विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की जा सकती है।

विषय संख्या : 4 — गोमती नदी तथा शहीद पथ के कार्नर पर विकसित की जा रही क्रिकेट स्टेडियम के दक्षिण में स्थित प्राधिकरण के लगभग 22.8664 हे0 56 एकड़ भूमि को व्यावसायिक में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त ग्राम–अरदौनामऊ एवं अहमामऊ की 22.8664 हे0 भूमि लखनऊ महायोजना–2021 में सामुदायिक सुविधायें तथा आवासीय भू–उपयोग से व्यावसायिक (उप नगर केन्द्र) भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया एवं यह भी निर्देश दिये गये कि सामुदायिक सुविधा

भू–उपयोग की भूमि के प्रतिपूर्ति/समायोजन की स्थिति सम्बन्धित समस्त विवरण/तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख शासन को प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव में किया जाये।

विषय संख्या : 5

गोमती नगर विस्तार योजना से0–4 के अन्तर्गत 04 भूखण्डों को पार्क के रूप में तथा उक्त भूखण्डों के सामने स्थित पार्क में समान क्षेत्रफल के 04 भूखण्डों के सृजित करने हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन का प्रस्ताव।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 6

लखनऊ–रायबरेली रोड पर प्रस्तावित मे0 गर्व बिल्डटेक प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत हाईटेक टाउनशिप के अन्तर्गत डी0ए0–1 स्वीकृत विन्यास मानचित्र क्षेत्रफल 722.19 एकड़ का संशोधित विन्यास मानचित्र के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 7

इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मे0 ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधित विन्यास मानचित्र (क्षेत्रफल–211.833 एकड़) दिनांक 15.12.2015 पर उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति की संस्तुति दिनांक 20.01.2016 पर विचार।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 8

सीतापुर–हरदोई बाईपास, आई0आई0एम0 रोड लखनऊ पर मे0 एल्डिको सिटी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–मुत्तकीपुर एवं अल्लूनगर डिगुरिया के आवासीय योजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 9

मे0 गोयल बिल्डर्स द्वारा खसरा संख्या–22 ग्राम–सेमरा, चिनहट, लखनऊ पर मल्टीप्लेक्स निर्माण सम्बन्धी भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 10.

उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास नीति

(इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2014) के अन्तर्गत मे0 स्वास्तिक मल्टीट्रेड प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 21.03.2016 को प्रस्तुत डी0पी0आर0 (80 एकड़) पर डी0पी0आर0 समिति की संस्तुति दिनांक 26.04.2016 को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

डी0पी0आर0 समिति की संस्तुतियों में की गयी अपेक्षाओं/संशोधन का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

विषय संख्या : 11.

भू0सं0–55, रामतीरथ मार्ग, लखनऊ (रायल गार्डेन) की भूमि लगभग 8750 वर्गमी0 लखनऊ महायोजना–2021 के अनुमन्य प्राविधानों में बाजार स्ट्रीट/कार्यालय उपयोग से आवासीय (उच्च से निम्न) भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

भू0सं0–55, रामतीरथ मार्ग, लखनऊ (रायल गार्डेन) की भूमि लगभग 8750 वर्गमी0 लखनऊ महायोजना–2021 के अनुमन्य प्राविधानों में बाजार स्ट्रीट/कार्यालय उपयोग से आवासीय (उच्च से निम्न) भू–उपयोग परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की जाय, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगेः–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा नामित – सदस्य
2. नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा नामित – सदस्य
3. पुलिस अधीक्षक, यातायात द्वारा नामित – सदस्य
4. मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 – सदस्य–संयोजक

उपर्युक्त समिति द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त मौके पर इन्फास्ट्रक्चर की उपलब्धता तथा सम्भावित यातायात प्रवाह की दृष्टिगत अपनी संस्तुति/आख्या प्रस्तुत करेगी जिसके आधार पर तथ्यपरक प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 12.

भूखण्ड संख्या–57, रामतीरथ मार्ग, लखनऊ की 0.8037 हे0 "कार्यालय" भूमि को "आवासीय" भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त भूखण्ड संख्या–57, मोहल्ला–कर्बला, आगामीर, रामतीर्थ मार्ग, नरही, हजरतगंज, लखनऊ की 0.8037 हे0 भूमि में से 0.2009 हे0 भूमि को कार्यालय से आवासीय उपयोग में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुएउ0प्र0 नगर योजना एवं विकास

अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 13.

भूखण्ड संख्या–बी–321, सेक्टर–बी, महानगर के ''आवासीय'' भूखण्ड को ''शैक्षिक'' (प्राइमरी स्कूल) के भू–उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के समादर में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 14.

गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4, सामुदायिक सुविधा भू–उपयोग (पुलिस स्टेशन) के भूखण्ड को अतिथि–गृह उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 15.

उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव वापस लिया गया।

विषय संख्या : 16.

विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिको की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को सेवायोजित करने के लिए राजकीय कर्मचारियों के लिए लागू उ0प्र0–सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 (यथा संशोधित) को प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिको की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को सेवायोजित करने के लिए राजकीय कर्मचारियों के लिए लागू उ0प्र0–सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 (यथा संशोधित) को प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 17.

लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ के अनुरोध पर प्राधिकरण के समूह–'ग' के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहे वाहन भत्ते की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव वापस लिया गया।

विषय संख्या : 18.

लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ के मांग पर सभी कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता की भाँति प्राधिकरण भत्ता के रूप में न्यूनतम रूपये–500/–प्रतिमाह दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालय–भत्ता की भांति प्राधिकरण–भत्ता के रूप में न्यूनतम रू0 500/–प्रतिमाह की दर से भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 19.

लखनऊ नगर के सुनियोजित विकास के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा घोषित आवास नीति–2014 के अन्तर्गत भूमि एकीकरण लैण्ड पूलिंग पद्वति से भूमि का जुटाव किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त लैण्ड पूलिंग के माध्यम से भूमि जुटाव करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई, परन्तु प्रत्येक प्रकरण में 'केस–टू–केस' बेसिस पर प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर निर्णय लिया जाना होगा।

विषय संख्या : 20.

प्रबन्ध नगर आवासीय योजना भाग–1 व 2 के किसानों की माँगों को दृष्टिगत रखते हुए नये भू–अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–385/8–3–16–309 विविध/15 दिनांक 21.03.2016 के अनुसार आपसी समझौते से प्रतिकर दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

चूँकि यह प्रस्ताव भू–अर्जन से सम्बन्धित है और पुराना है। अतः इसका विधिक परीक्षण भी करा लिया जाय। सैद्धान्तिक रूप से किसानों से उनकी सहमति के आधार पर विवादों के समाधान हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 21.

लखनऊ विकास प्राधिकरण की अर्जित भूमि के मध्य स्थित काश्तकारों की अनार्जित भूमि जिसका विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि के साथ सम्मिलित कर नियोजन/आवंटन की कार्यवाही की गयी है, के काश्तकारों को 50 प्रतिशत विकसित भूमि अथवा 50 प्रतिशत भूमि का मूल्य आकलित कर भू–स्वामी को प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ

विकास प्राधिकरण के स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी जाय, वह इसका परीक्षण कर प्रशासनिक रूप से उपाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त कर सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेते हुए कार्यवाही करे। कृत कार्यवाही से बोर्ड को भी अवगत करा दिया जाय।

जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों की कुछ भूमि को बिना प्रक्रिया पूरी किए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ले लिए जाने के बिन्दु से अवगत कराया गया। प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी लखनऊ के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर राजस्व विभाग के सुसंगत शासनादेशों के आधार पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करे।

विषय संख्या : 22.

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित विवादित आवासीय भूखण्डों का प्राधिकरण द्वारा कब्जा न उपलब्ध कराये जाने की दशा में निस्तारण के दृष्टिगत आवंटियों की जमा धनराशि वापसी के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव के बारे में उपाध्यक्ष के द्वारा जानकारी दी गयी। चूँकि यह एक बड़ी समस्या है जिसमें रजिस्ट्री के बाद भी सम्बन्धित आवंटियों को भूमि का कब्जा लम्बे समय से नहीं दिया जा सका है। बोर्ड के द्वारा यह निर्देश दिये गये कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्तर पर एक समिति गठित करके एक **"समाधान पैकेज"** तैयार किया जाय, जिसमें कई विकल्प हों, उपलब्ध कराया जाय। एक प्रारूप/विस्तृत प्रार्थना–पत्र तैयार किया जाय, जिसमें आवंटियों के द्वारा जो सूचनाएं दी जांय उसका सत्यापन लखनऊ विकास प्राधिकरण में हो जाए और कई विकल्प दिये जांय जिससे कि आवंटी अपने विकल्प लिखित रूप से उसमें भर सकें। प्रत्येक प्रकरण का समाधान अलग–अलग पत्रावली बनाकर मेरिट के आधार पर किया जाय। यह एक अभियान (drive) चलाकर 6 माह के अन्दर ऐसे प्रकरणों का मेरिट के आधार पर निस्तारण किया जाय। इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुईं, इसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाय। इन सुझावों के साथ बोर्ड के द्वारा यह निर्देश दिये गये कि जनहित में इसका उचित समाधान लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्तर पर प्राप्त किया जाय।

विषय संख्या : 23.

गोमती नगर योजना स्थित विराम खण्ड–5 प्राधिकरण द्वारा

102 दुकाने निर्मित की गयी है। निर्मित दुकानें किसानों के पक्ष में आवंटित की गयी थी। किसानों द्वारा वर्ष—1998 की लागत पर दुकानें दिये जाने के अनुरोध के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त किसानों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत वर्ष 2001 में निर्धारित मूल्य में शिथिलीकरण करते हुए विस्तापित 102 किसनों को रू0 1,25,000/—की दर पर दुकान दिये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि 05 वर्ष तक दुकानों का विक्रय नहीं किया जायेगा। इसका उल्लेख लीज—डीड में भी किया जाय।

विषय संख्या : 24. उजरियावं आवासीय योजना भाग—1 व 2 के अन्तर्गत अर्जित भूमि का प्रतिकर मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार निर्धारित दर पर भुगतान करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 25. श्रीमती सरिता वर्मा, भूखण्ड संख्या—6/408, विनीत खण्ड, गोमती नगर, समायोजित पेण्ट हाउस संख्या—एस.आर. /1103/ई, सरस्वती अपार्टमेन्ट, रिवर व्यू इन्क्लेव, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ का मूल्य भूखण्ड के पंजीकरण तिथि का लिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को गुणदोष के आधार पर निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

विषय संख्या : 26. खसरा संख्या—1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम—औरंगाबाद जागीर, तहसील—सरोजनीनगर, जिला—लखनऊ का भू—उपयोग ग्रीन (पी—1) से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : 27. लखनऊ महायोजना—2031 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय : लखनऊ महायोजना—2031 का प्रारूप बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड को अवगत कराया गया कि यह महायोजना विस्तारित क्षेत्र एवं लखनऊ महायोजना—2021 के कृषि क्षेत्र में नये प्रस्ताव देते हुए लखनऊ महायोजना—2021 के नगरीय प्रस्तावों को यथावत रखते हुए तैयार की गयी है जैसा कि बोर्ड बैठक दिनांक 11.06.2014 में निर्णय लिया गया था।

लखनऊ महायोजना–2021 के कुछ प्रस्तावों पर बोर्ड का निर्णय अपेक्षित है। इन पर बोर्ड में विस्तृत विचार–विमर्श करने के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये–

1. गर्व बिल्डटेक हाईटेक टाउनशिप की भूमि को जो महायोजना–2021 में कृषि दर्शित है को हाईटेक टाउनशिप की नीति के अनुसार लखनऊ महायोजना–2031 में आवासीय दर्शित किया जाये।

2. लखनऊ महायोजना–2021 में प्रस्तावित रिंग रोड आंशिक रूप से विस्तारित क्षेत्र में स्थानान्तरित होने के बाद इससे संलग्न पट्टीनुमा ग्रीनबेल्ट का कोई आचित्य नहीं रह जाता है। अतः इसे समाप्त करते हुए इस भूमि का भू–उपयोग संलग्न क्षेत्र के भू–उपयोग के अनुसार किया जाये। ग्रीनबेल्ट की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के दृष्टिगत अंसल हाईटेक टाउनशिप के अन्तर्गत पडने वाले पट्टीनुमा ग्रीनबेल्ट को उसी योजना में अन्यत्र वैकल्पिक स्थान पर मानको के अनुसार प्रस्तावित किया जाये एवं आवास एवं विकास परिषद की अवध बिहार योजना के भागग को उसी योजना में अन्यत्र सार्थक रूप से प्रस्तावित किया जाये। सुल्तानपुर मार्ग के उत्तर के भाग में प्रस्तावित पट्टीनुमा ग्रीनबेल्ट को उसी क्षेत्र में सार्थक रूप से प्रस्तावित किया जाये।

इसके साथ ही साथ फैजाबाद मार्ग पर रिंग रोड का जंक्शन ठीक करने हेतु एन.एच.आई. द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार फैजाबाद मार्ग के उत्तर की ओर इन्दिरा कैनाल के साथ ही साथ रिंग रोड को प्रस्तावित किया जाये। मार्ग स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त स्थान में संलग्न भूमि के भू–उपयोग के अनुसार प्रस्तावित किया जाये।

3. पुरानी जेल के स्थान पर वर्तमान में डा0 भीमराव अम्बेडकर ईकोगार्डेन का निर्माण हो चुका है। निर्णय लिया गया कि इस भूमि के भू–उपयोग को वर्तमान स्थिति के अनुसार पार्क दर्शित किया जाये।

4. कानपुर मार्ग से रायबरेली मार्ग को जोड़ने वाले वी.आई.पी. मार्ग की चौड़ाई प्राधिकरण द्वारा निर्मित योजना की वास्तविक स्थिति के अनुसार वर्तमान में निर्मित संरेखण के अनुरूप 30 मी0 निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

5. **गोमती नगर विस्तार योजना** की मार्ग संरचना प्राधिकरण की योंजना के अनुरूप वास्तव में हुए निर्माण के अनुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया।

6. सुल्तानपुर मार्ग के उत्तर में गोमती नदी के किनारे बन्धे का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित बन्धे एवं गोमती नदी के मध्य स्थित भूमि का भू–उपयोग हरित पट्टी निर्धारित किया जाये। बन्धे के बाहर की भूमि का भू–उपयोग आवासीय निर्धारित किया जाये।

7. क्षेत्रीय मार्गो पर समान मानक रखते हुए दोनों तरफ 50–50 मी0 चौड़ी हरित पट्टी का प्रस्ताव किया जाये।

8. शहीदपथ के पूरब में फैजाबाद रेलवे लाइन के साथ प्रस्तावित ग्रीनबेल्ट के चौड़ाई 30 मी0 करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि रेलवे लाइन के समान्तर प्रस्तावित मार्ग का औचित्य नहीं है। अतएव इसे समाप्त कर दिया जाये।

9. मोहान मार्ग से काकोरी टाउन एरिया तक प्रस्तावित 60 मी0 चौड़े मार्ग के दोनों ओर 500–500 मी0 भाग को आवासीय भू–उपयोग प्रस्तावित करने का निर्णय लिया गया।

10. निर्णय लिया गया कि गोमती नदी के दक्षिण में प्रस्तावित एस.टी.पी. को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर आवासीय भू–उपयोग प्रस्तावित किया जाये।

11. कपूरथला चौराहे से नेहरू वाटिका तिराहे तक मार्ग की चौड़ाई 24 मी0 निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

12. टेढ़ीपुलिया से गुडम्बा थाने तक कुर्सी मार्ग की चौड़ाई 60 मी0 के स्थान पर 45 मी0 निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

13. सीतापुर मार्ग पर निर्मित नवीन मण्डी को वर्तमान आकार एवं आकृति के आधार पर महायोजना में प्रदर्शित किया जाये।

14. हाईटेक टाउनशिप की डी.पी.आर. में प्रस्तावित 30 मी0 एवं उससे अधिक चौड़े मार्गों को महायोजना में यथावत प्रस्तावित करने का निर्णय लिया गया, परन्तु इन मार्गो के सापेक्ष कम्पन्नसेट्री एफ.ए.आर. देय नहीं होगा।

15. महायोजना–2021 के बिन्दु संख्या–6.4.8 बाजार मार्ग में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया गयाः–

“विभिन्न मार्गाधिकारों पर स्थित भूखण्डों पर व्यवसायिक उपयोग की गहराई प्रस्तावित मार्गाधिकार के बराबर अथवा 01 जनवदी, 2015 को भू–स्वामी द्वारा अपने स्वामित्व के भूमि की गहराई की सीमा (जो भी अधिक हो) तक मानी जायेगी”।

16. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अध्यक्ष केडाई द्वारा

प्रस्तुत अनुरोध के कम में फैजाबाद मार्ग पर प्रस्तावित बस स्टेशन के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। यह पाया गया कि फैजाबाद मार्ग पर वर्तमान में प्रस्तावित बस स्टेशन स्थल पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कतिपय भू–उपयोग परिवर्तन कर दिये गये है और वहॉ अब बस स्टेशन हेतु उपयुक्त स्थल उपलब्ध नहीं है। फैजाबाद मार्ग पर हुए विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस मार्ग पर सम्यक स्थान पर बस स्टेशन की आवश्यकता है निर्णय लिया गया कि फैजाबाद मार्ग से नहर के किनारे प्रस्तावित रिंग रोड पर फैजाबाद रेलवे लाइन के उपरान्त बस स्टेशन का प्रस्ताव किया जाये।

17. बैठक में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बाजार स्ट्रीट के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट के बीच में यदि कहीं आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित कालोनी स्थित है तो इनमें कोई डिसकिमिनेशन न किया जाये और एक समान रूप से निरन्तरता में बाजार स्ट्रीट का प्रस्ताव किया जाये। तद्नुसार ऐसे स्थानों पर महायोजना–2021 के प्रस्तावों को संशोधित कर लिया जाये।

18. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में उपस्थित गैर सरकारी सदस्य श्री विजय यादव ने यह प्रस्ताव दिया कि जेल शहर के अन्दर से स्थानान्तरित कर मोहनलाल गंज से गोसाईंगंज को जाने वाले मार्ग पर स्थित कर दी गयी है। भावी आवश्यकता को देखते हुए पुलिस लाइन का प्राविधान भी उसके आस–पास उपयुक्त स्थल पर किया जाये। उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त को समायोजित करते हुए लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) संशोधित कर लिया जाये। तदोपरान्त महायोजना परीक्षण के लिए गठित शासकीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये। उक्त बैठक में स्टैक होल्डर्स यथाः– जिलाधिकारी, लखनऊ, नगर आयुक्त, लखनऊ, आवास आयुक्त, अध्यक्ष, केडाई, पुलिस अधीक्षक, यातायात आदि को आमन्त्रित कर सभी के सुझाव प्राप्त कर लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) को अन्तिम रूप दिया जाये।

विषय संख्या : 28.

श्रीमती सरला माथुर व श्री मुदित माथुर फ्लैट संख्या–वाई. एन./703/एम,3बी.एच.के. टाइप–2, यमुना अपार्टमेन्ट, रिवर

व्यू इन्क्लेव, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ को मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को समिति गठित कर वित्तीय एवं विधिक पक्ष को देखते हुए गुणदोष के आधार पर नियमानुसार निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

विषय संख्या : 29. अशोका गार्डेन भूखण्ड/भवन धारक हितकारी परिषद के सदस्य श्री रामकुमार मालवीय को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत बोर्ड बैठक दिनांक 20.01.1993 के अनुसार विभिन्न खण्डों में विकसित भूखण्ड/फ्लैट आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक्विचारोपरान्त उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को समिति गठित कर गुणदोष के आधार पर नियमानुसार निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

विषय संख्या : 30. लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने के प्रस्ताव के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय : अवगत कराया गया कि शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित की जा रही है। प्रस्ताव स्थगित किया गया।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
सचिव

(सत्येन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(सदाकान्त)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ